

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

पत्रांक:- 213 /

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

AM
14/1/24

संवेद में,

विद्यालय प्रबंधक / प्राचार्य,
D.B.M.S. Kadma High School,
Road No.23, Farm Area, Kadma, Jamshedpur
यू-डायस कोड-20180315320

जमशेदपुर, दिनांक:- 17.01.2024

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महाशय,

आपके द्वारा दिनांक 07.03.2023 को समर्पित ऑनलाइन आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रदत्त शपथ पत्र के आधार पर, D.B.M.S. Kadma High School, Road No.23, Farm Area, Kadma, Jamshedpur यू-डायस कोड-20180315320 को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से कक्षा 1 से VIII तक के लिए औपबंधिक रूप से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधिन हो:-

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका-03 में उल्लेखित बच्चों के लिए, विद्यालय अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बँक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्कीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे का उस की आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।

AM

Omaya

7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
 - I- प्रवेश दिये गए किसी भी बच्चे को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुर्तीण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा,
 - II- किसी भी बच्चे को शारिरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जायेगा,
 - III- प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई भी बोर्ड परीक्षा उर्तीण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी,
 - IV- प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा,
 - V- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थीयों को प्रवेश दिया जायेगा,
 - VI- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ता, अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्ता, अधिनियम 2009 लागू होने के समय नहीं है, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे,
 - VII- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे,
 - VIII- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई सुविधाएं निम्नानुसार हैं—

1I.	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल:-	3.21 एकड़ (टाटा लीज भूमि)
II.	कुल निर्मित क्षेत्र:-	9045 Sq.Meter
III.	कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल:-	71 meter X 69 meter
IV.	कक्षाओं की संख्या:-	44 (चौवालिस)
V.	प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भण्डारगार के लिए कक्ष:-	02
VI.	बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शैचालय:-	हों।
VII.	पेयजल की सुविधा:-	हों।
VIII.	बाधारहित पहुँच:-	हों।
IX.	अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेल कुद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता:-	हों।

11. विद्यालय परिसर के भीतर या उस के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं का कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

A. Dey

Anu

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, वयविधियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय—समय पर विभाग एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों की दूर करने के लिए जारी किए जाये।
16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत् किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावाली, 2011 के तहत नवअधिसूचित विभागीय अधिसूचना सं0 629 दिनांक 25.04.2019 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप कठिपय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रॉची के आदेश पत्रांक— 1148 दिनांक— 13.07.2019 की कंडिका—02 के आलोक में औपचारिक मान्यता प्रदान किया जा सकता है। यदि विद्यालय प्रबंधन विभागीय अधिसूचना सं0 629 दिनांक 25.04.2019 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप निराकरण करने में विफल रहता है तो विद्यालय की मान्यता वापस ले ली जाएगी तथा विधिनुसार अन्य कार्रवाई की जाएगी।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक 28 है। कृप्या इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख किया जाये।

N
जिला शिक्षा अधीक्षक,
पुर्वी रिक्टर्म, जमशेदपुर।
17/07/2019 *17/07/2019*

Gurpreet Bhambra
Gurpreet Bhambra
Principal
DBMS Kadma High School

Anita Ramkrishna
Anita Ramkrishna
Hon' Secretary
DBMS Kadma High School

